

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

दिनांक 21.01.2022

1. निदेशक, प्रारम्भिक/संस्कृत शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा

विषय : अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति बजट आवंटन।

प्रसंग : निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11(164)/सान्याअवि/देवयो/लेखा/बजटआ./2021-22/16312 दिनांक 6.04.2021।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के वर्ष 2021-22 के विद्यार्थियों के भुगतान हेतु बजट आवंटन राज्य निधि का वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नांकित को लेखामद 2225-03-196-06-05 राज्य निधि में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	विद्यार्थियों की संख्या (अनुमानित)	राशि
1	AJMER	16289	2300	2000000
2	ALWAR	6452	2500	2200000
3	BANSWARA	21127	450	380000
4	BARAN	21800	1300	1000000
5	BARMER	13976	1300	1000000
6	BHARATPUR	7236	1800	1800000
7	BHILWARA	17971	10000	7000000
8	BIKANER	3735	93	75600
9	BUNDI	17137	2600	2200000
10	CHITTAURGARH	21402	2000	1600000
11	CHURU	4492	197	174600
12	DAUSA	8914	1700	1500000
13	DHAULPUR	7576	1500	1300000
14	DUNGARPUR	20897	600	500000
15	HANUMANGARH	3282	76	66000
16	JAIPUR	10196	4500	4000000
17	JAISALMER	13291	25	20600
18	JALORE	14459	4000	2800000
19	JHALAWAR	22087	1200	1100000
20	JHUNJHUNUN	5349	1300	1150000
21	JODHPUR	13122	400	350000
22	KARAULI	8055	2000	1700000
23	KOTA	21597	2000	1050000
24	NAGAUR	12261	1800	1500000
25	PALI	15571	2700	2304500
26	PRATAPGARH	22191	500	450000
27	RAJSAMAND	18401	1500	1250000
28	S.MADHOPUR	8468	2600	2250000
29	SIKAR	11216	1600	1400000
30	SIROHI	14800	2400	1950000

L

31	SRI GANGANAGAR	2735	13	11600
32	TONK	16781	2000	1700000
33	UDAIPUR	20688	1000	800000
34	ELEMENTARY EDU.	1558	30000	20000000
35	SANSKRIT EDU.	958	1680	1417100
TOTAL			91634	70000000

(अखरे रूपये सात करोड़ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
4. दिनांक 31.01.2022 तक छात्रवृत्ति का पूर्ण वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सहायक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 21.01.2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य / बजट / बी-3 / 25212 / 2020-21

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
4. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
5. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।



लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर